सीड पार्क में इकाइयों की स्थापना पर मिलेगा बड़ा अनुदान

लखनऊ के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में 266.70 करोड़ से पहले चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की होगी स्थापना

दिलीप शर्मा● जागरण

लखनऊ: बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए बनाए जाने वाले सीड पार्क में इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार भारी अनुदान देगी। बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रियायती दर पर प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे और भूमि पर कोई स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। इकाई निर्माण से लेकर लैब स्थापना तक पर पांच-पांच करोड़ रुपये तक का अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं बिजली शुल्क में भी 10 साल तक शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

प्रदेश सरकार की सीड पार्क योजना में सबसे पहले लखनऊ स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी की 130.63 एकड़ भूमि पर 266.70 करोड़ रुपये की लागत से चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए यूपीडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। पार्क में अन्य सुविधाओं के साथ बीज

उत्पादन आदि गतिविधियों के लिए 26 प्लाट विकसित किए जाएंगे। बीज उत्पादक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सीड पार्क में यूपीडा द्वारा तैयार किये गए इन औद्योगिक प्लाटों को बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

भूमि की सर्किल दर पर मूल्यांकन व सीड पार्क पर होने वाले विकास व्यय के योग को उपलब्ध प्लाटों के क्षेत्रफल में वितरित करते हुए उसके 75% को न्यूनतम प्रति वर्गमीटर दर के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इच्छुक संस्थाएं इस दर से अधिक पर भूमि आवंटन के लिए आवेदन कर सकेंगी और सर्वाधिक दर का प्रस्ताव देने वाली संस्था को आवंटन किया जाएगा।

100 प्रतिशत छूट बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए भूमि पर स्टांप शुल्क में

5 -पांच करोड़ रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था है इकाई निर्माण और लैब स्थापना पर

10 साल तक शत-प्रतिशत छूट होगी बिजली शुल्क में

बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए संयंत्र, मशीनरी, ताप नियंत्रण भंडारण व तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए कुल व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ तक होगी। वहीं स्पीड ब्रीडिंग, हाइब्रिड लैब, बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये पांच करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

विकसित होंगी कामन सुविधाएं : सीड पार्क में प्रशिक्षण इस उद्देश्य से बनाई जाने वाली उद्यमियों की समिति के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए यूजर चार्ज भी निर्धारित किया जाएगा।

लीज की शर्तों का होगा निर्धारण

उत्पादन इकाइयों को प्लाट 30 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा। इस भूमि का प्रयोग केवल बीज उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए ही किया जाए और समयबद्ध रूप से क्षेत्र में उत्पादन आरंभ हो, इसके लिए लीज की शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। इसमें लीज की राशि को एकमुश्त या निर्धारित किस्तों के आधार पर वसूल करने का भी प्रविधान होगा।